# न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 22/2019

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी<br>कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य<br>अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर | | अशोक जाट पुत्र रामदेव जाट जाति जाट<br>निवासी जाटो का मोहल्ला, मु. पो. बम्बलू<br>तहसील व जिला बीकानेर।<br>फर्म–आर.के. मावा भण्डार, बाबा रामदेव मार्केट,<br>वाटर वर्क्स चौराहा, नागौर। |

**आदेश** दिनांक : 29.01.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी को दिनांक 01.11.2018 को मैसर्स आर.के. मावा भण्डार, बाबा रामदेव मार्केट, वाटर वर्क्स चौराहा, नागौर पर खाद्य पदार्थ मावा में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1052 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 877/एक्ट/2018/896 दिनांक 21.12.2018 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ मावा का नमूना Sub-Standard होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त अशोक जाट पुत्र रामदेव जाट जाति जाट निवासी जाटो का मोहल्ला, मु.पो. बम्बलू तहसील व जिला बीकानेर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 29-03-2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपना जवाब दिनांक 27.01.2021 को पेश किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब मे बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी फर्म से मावा का नमूना लिया। जो सब स्टेण्डर्ड होना पाया। मै मावा बाहर से खरीद कर लाता हूॅं। भविष्य मे इस तरह का मावा नही खरीदूॅंगा। अच्छी क्वालिटी का खरीद कर बेचूॅंगा। इस मुकदमे मे कम से कम जुर्माना कर दोष मुक्त करवाने का का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 877/एक्ट/2018/896 दिनांक 21.12. 2018 के अनुसार खाद्य पदार्थ मावा का नमूना Sub-Standard पाया गया है। अतः अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अशोक जाट पुत्र रामदेव जाट जाति जाट निवासी जाटो का मोहल्ला, मु.पो. बम्बलू तहसील व जिला बीकानेर पर रू. 7,000/– अक्षरे रूपये सात हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)